कार्यालय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध संचालक
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा, भोपाल. 462023
फोन आफिस 0755–2678377 फैक्स – 2589821
मानव संसाधन विभाग (ISO 9001:2008 प्रमाणित)

कं.निदेशक/पीडीटीसी/एप्रेंटिस/ 2031 भोपाल, दिनांकः 23.01.2014

विज्ञप्ति

स्नातक/तकनीकी एप्रेन्टिस के नियोजन बावत्।

निदेशक एंव क्षेत्रीय केन्द्रीय एप्रेन्टिसशिप सलाहकार, शिक्षु प्रशिक्षण मंडल पश्चिम क्षेत्र मुम्बई द्वारा जारी निर्देशों एंव एक्ट के अनुसार एप्रेन्टिस (संशोधन) एक्ट 1973 एंव 1986 के प्रावधानानुसार म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. लि. भोपाल के अन्तर्गत शासकीय/अर्थ शासकीय मान्यता प्राप्त इन्जीनियरिंग/म.प्र.राज्य के पोलिटेक्निक कालेजों से वर्ष 2012 या इसके बाद मे उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निम्नलिखित शाखाओ मे 01 वर्ष के अप्रेंटिस विद्युत यांत्रिकी में स्नातक/तकनीकी एप्रेन्टिस के प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमन्त्रित किये जाते है।

क्र.	विषय	स्नातक एप्रन्टिस (शिष्यवृति रू. 3560/– प्रतिमाह)					तकनीकी एप्रेन्टिस (शिष्यवृति रू. 2530/– प्रतिमाह)				
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल
1.	सिविल इंजी	1	1	0	2	4	1	1	0	2	4
2.	इलेक्ट्रिकल्स	8	9	7	25	49	4	5	3	12	24
3.	आई.टी.	1	1	0	2	4	0	0	0	0	0
कुल						**57**					**28**

1. **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता –**
   (अ) स्नातक एप्रेन्टिस–विद्युत यांत्रिकी/सिविल यांत्रिकी/आई.टी. में स्नातक।
   (ब) तकनीकी एप्रेन्टिस–विद्युत यांत्रिकी/सिविल यांत्रिकी में डिप्लोमा।
   (स) तकनीकी व्यवसायिक एप्रेन्टिस–अखिल भारतीय तकनीकी शैक्षणिक संस्था से द्वि–वर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
2. इक्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र कम्पनी के वेब साईट से डाऊनलोड का अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 15/02/2014 सांय 05:30 बजे तक आवश्यक प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित डाक से अथवा स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथी के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अधिक जानकारी के लिये म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल की वेब साईट www.mpcz.co.in पर देख सकते हैं।
3. प्रशिक्षुओं का चयन उनकी शाखा में प्राप्ताकों की प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा।
4. अजा./अ.ज.जा. वर्ग के लिए आरक्षण एप्रेन्टिस एक्ट के प्रावधानों के आधार पर रहेगा।
5. किसी भी प्रशिक्षु का चयन/निरस्त करने का अधिकार बिना किसी कारण बताये म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. अपने पास सुरक्षित रखता है।
6. उपरोक्त पदो हेतु उन्ही उम्मीदवारो के आवेदन स्वीकार किये जावेगे जिन्होने पूर्व मे अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण नहीं लिया है तथा जिन्हे स्नातक/डिप्लोमा हासिल किये 03 वर्ष से कम हो। इस हेतु उम्मीदवार को घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
7. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

निदेशक (प्रशिक्षण)

नोटः– चयनित एप्रेन्टिस को प्रशिक्षण पश्चात् नौकारी की पात्रता नहीं होगी एंव उन्हें मात्र एक वर्ष का एप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।